श्री अश्विनी कुमार चौबे, स०वि०स०/श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स०/श्रीमती आशा देवी, स०वि०स०/श्रीमती दिलमरणी देवी, स०वि०स०/श्री गोपाल जी ठाकुर, स०वि०स० एवं श्रीमती मंजु हजारी, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना।

"उत्तराखण्ड भीषण त्रासदी में राज्य के सैकड़ों लोग कालकल्वित हुए थे। उनका न तो मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है और न ही मुआवजा राशि दी गयी है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सरकार द्वारा अनदेखी की गयी है। मेरे व्यक्तिगत प्रयास से कुछ जिलों में जिलाधिकारी द्वारा मृतकों को (फोटो के साथ) विज्ञापन प्रकाशित कराया गया लेकिन अधिकांश जिलों में स्थिति नगण्य है। मेरे साथ गये चार कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान कालकल्वित हुए थे तथा इस त्रासदी में राज्य के ऐसे अन्य सैकड़ों लोग जो मृत हो चुके हैं, उनका मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं होने के कारण बैंक खाता परिचालन बाधित है तथा जीवन बीमा सहित नौकरी एवं अन्य लाभ से उनके परिजन वंचित हैं। बिहार के तीन लोग जो वहां रहते थे तथा कालकल्वित हुए थे, उनके परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पांच माह पूर्व दो–दो लाख मुआवजा राशि का भुगतान कव दिया गया है। जबकि राज्य सरकार इस अति गंभीर विषय पर मौन है।

अतः इस त्रासदी में कालकल्वित हुए लोगों का मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने, परिजनों को मुआवजा एवं सरकारी कर्मियों को आश्रितों को नौकरी देने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।"

<u>सरकारी वक्तव्य</u>

उत्तराखंड त्रासदी में बिहार राज्य के लापता /मृत 80 व्यक्तियों की सूची दो चरणों में उत्तराखंड सरकार को भेजी गई है। जिसमें से 41 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र उत्तराखंड सरकार से प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 39 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र संबंधितों को हस्तगत कराने हेतु जिलों को भेजा जा चुका है, शेष 2 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र को भेजने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा तीन चरणों में कुल 41 व्यक्तियों के आश्रितों के लिये 3,50,000/–रू० (तीन लाख पचास हजार) प्रति व्यक्ति की दर से 1,43,50,000/–रू० (एक करोड़ तेतालीस लाख पचास हजार) विभाग को प्राप्त हुये है। जिसमें से 1,36,50,000/–रू० (एक करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार) संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। इन 41 मृत व्यक्तियों के निकट आश्रितों को विभागीय संकल्पके अनुरूप 1–1 लाख रू० कुल 41 लाख रू० अनुग्रह अनुदान की राशि जिलों को विभागीय पत्रांक–109(स०अनु०) दि०–13.09.13 एवं 112(स०अनु०) दि०–18.02.14 के द्वारा भेज दिया गया है । शेष व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड सरकार से निरंतर संपर्क बनाकर प्रयास किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–2881 दिनांक–12.07.2013 के अनुरूप अभी तक राज्य के 3 जिलों यथा सहरसा, भागलपुर एवं सिवान द्वारा अधियाचित कुल बारह (8) व्यक्तियों

के लिये 1,00,000 (एक लाख) रूपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 8,00,000/– (आठ लाख) का अनुग्रह अनुदान जिलों को दिया गया है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे, मा0स0वि0स0 के साथ उत्तराखंड गये 3 सरकारी कर्मियों में से 1 कर्मी स्व0 अजय कुमार मिश्रा का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं अनुग्रह अनुदान की राशि जिला पदाधिकारी, बक्सर को विभागीय पत्रांक 421 दिनांक–03.02.2014 द्वारा भेज दिया गया है। शेष दो कर्मी स्व0 देवेन्द्र प्रसाद सिंह, एवं फुलन ओझा का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं उत्तराखंड से प्राप्त 3.5 –3.5 लाख रू0 की अनुग्रह अनुदान की राशि संबंधित जिलों को भेजने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ध्या0–03/2014/............................/आ0प्र0 दिनांक –

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक –403 दि0–17.022014 के क्रम में 04(चार) प्रतियो में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04/वि0स0ध्या0–03/2014/......838....../आ0प्र0 दिनांक – 4/3/14

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

04/03/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

3

\\Pc22-pc\d\2014\yojna 2014\vidhan dhanakarshan qu as.docx 11-2-14.docx